

मध्यप्रदेश शासन
महिला एवं बाल विकास विभाग
मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल

क्रमांक एफ 3-2/2016/50-2

भोपाल, दिनांक 05-5-2016

प्रति

1. आयुक्त, एकीकृत बाल विकास सेवा संचालनालय, भोपाल
2. समस्त कलेक्टर, मध्यप्रदेश
3. समस्त जिला कार्यक्रम अधिकारी, एकीकृत बाल विकास सेवा, मध्यप्रदेश
4. समस्त परियोजना अधिकारी, बाल विकास परियोजना, मध्यप्रदेश

विषय - बाल विकास परियोजनाओं से आंगनवाडी केन्द्रों तक प्रदाय किये जा रहे पूरक पोषण आहार (टेकहोम राशन) के परिवहन दर वृद्धि के संबंध में।

06 माह से 03 वर्ष तक के बच्चों, गर्भवती, धात्री माताओं एवं सवला योजना अंतर्गत किशोरी बालिकाओं को रेडी टू ईट फूड के रूप में पूरक पोषण आहार का प्रदाय एम0पी0एगो के माध्यम से टी.एच.आर.(Take Home Ration) के रूप में परियोजना मुख्यालय तक किया जा रहा है।

टेकहोम राशन का परियोजना कार्यालय से आंगनवाडी केन्द्रों तक परिवहन की वर्तमान में निर्धारित दर में वृद्धि करने हेतु अधिकतम राशि रु. 100/- प्रति क्विंटल, प्रति आंगनवाडी केन्द्र प्रतिमाह की जाती है। परिवहन दरों का निर्धारण विज्ञापन के माध्यम से निविदा आमंत्रित कर की जावेगी।

AD (M)
7/5/16

आयुक्त / कलेक्टर / जिला कार्यक्रम अधिकारी
6/5/16
JACATS

R. L. J.
(रवीन्द्र सिंह)
उप सचिव

मध्यप्रदेश शासन
महिला एवं बाल विकास विभाग

भोपाल, दिनांक 05-5-2016

पृष्ठां0 क्रमांक एफ 3-2/2016/50-2

प्रतिलिपि :-

1. निज सहायक, मान0 मंत्री जी, महिला एवं बाल विकास विभाग
2. निज सचिव, प्रमुख सचिव, म0 प्र0शासन, महिला एवं बाल विकास विभाग
3. अनुभाग अधिकारी-2/गार्ड फाईल

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

R. L. J.
उप सचिव

मध्यप्रदेश शासन

महिला एवं बाल विकास विभाग